न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम	सीमा मीना, RJS (UID NO. RJ01558)
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रेशन दिनांक	14.07.2016
रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या	125 / 2016
अंतर्गत धारा	279, 337, 304ए आई.पी.सी.
सी.आई.एस. नंबर	1649 / 2020
सी.एन.आर. नंबर	RJDS120002582016
एफ.आई.आर. नंबर	81 / 2016, पुलिस थाना मण्डावर

राजस्थान राज्य **ब ना म** शकील अहमद खान पुत्र सुबेदार खान, निवासी मोजपुर, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज.)

.....**अभियुक्त**

अपराध की दिनांक	17.05.2016
एफ.आई.आर. की दिनांक	18.05.2016
चार्जशीट पेश होने की दिनांक	14.07.2016
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	14.07.2016
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ होने की दिनांक	19.11.2016
बहस अंतिम	30.03.2026
निर्णय दिनांक	30.03.2026

अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	नारायण	फर्द नक्शा मौका, फर्द पंचायतनामा, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 02	मुकेश कुमार	फर्द पंचायतनामा, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	मान सिंह	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट का गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	ओमकार मीना	फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी मोटरसाईकिल, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह

पी.डब्ल्यू. 05	मुकेश चन्द मीना	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 06	राकेश सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 07	विमला देवी	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट की गवाह
पी.डब्ल्यू. 08	रमनलाल	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह

अभियोजन के प्रदर्श की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	फर्द पंचायतनामा छगनलाल
2.	प्रदर्श पी.2	रसीद सुपुर्दगी लाश
3.	प्रदर्श पी.3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी.3(पुनः)	फर्द जब्ती मारुति वैन
5.	प्रदर्श पी.4	फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी मोटरसाईकिल
6.	प्रदर्श पी.5	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन मारूति वैन
7.	प्रदर्श पी.6	तहरीरी रिपोर्ट
8.	प्रदर्श पी.6(पुनः)	पुलिस बयान मुकेश कुमार
9.	प्रदर्श पी.7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी.7(पुनः)	पोस्टमार्टम रिपोर्ट छगनलाल
11.	प्रदर्श पी.8	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट
12.	प्रदर्श पी.9	नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट
13.	प्रदर्श पी.10	फर्द जब्ती कागजात वाहन मारूति वैन
14.	प्रदर्श पी.11	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त
15.	प्रदर्श पी.12	अंतिम प्रतिवेदन
16.	प्रदर्श पी.12(पुनः)	पुलिस बयान रमनलाल

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थित : –

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज. की ओर से।

02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री अशोक कुमार वशिष्ठ।

:: निर्णय :: दिनांक : 30.03.2026

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 18.05.2016 को परिवादी रामनिवास के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर के समक्ष इस आशय की तहरीरी

रिपोर्ट पेश की कि उसका पुत्र छगन लाल पुत्र रामनिवास मीणा, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम रतनगढ़ पाला, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान कल दिनांक 17.05.2016 को रिस्तेदारी में ग्राम सालवाड़ी, तहसील कठुम्बर, जिला भरतपुर, अलवर शादी में गया तो जब वो अपनी मोटर साईकिल से अपने गांव वापस आ रहा था, मोटर साईकिल पर उसके पीछे मस्तराम पुत्र नारायण बैठा हुआ था। जब वो मण्डावर–महुआ रोड़ रेलवे फाटक के पास समय करीब रात्रि 7.00–7.30 पी.एम. पर पहुॅचे तो पीछे से एक वाहन मारुती वैन सं. आर.जे. 02 यू.ए. 2384 को उसका चालक तेज गति एंव लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लाया और उसने मोटर साईकिल में पीछे से जोर से टक्कर मारी, जिससे उसका पुत्र एवं उसके पीछे बैठा मस्तराम मोटर साईकिल सहित जोर उछल कर रेल्वे फाटक के बैरियर से टकराये और उसके पुत्र के शरीर पर काफी गंभीर एवं प्राण घातक चोटें आई। मस्तराम के शरीर पर भी काफी चोटे आई। उसके पुत्र के पीछे–पीछे उसके अन्य रिस्तेदार बाबू लाल, नारायण सहाय, मुकेश व ओमकार जायलो वाहन में आ रहे थे, जो टक्कर लगते ही तुरन्त रुक गये। मारुती वैन का चालक भी रुक गया था। उसके रिस्तेदारों ने मारुती वैन के नंबर नोट कर लिये थे। उसके रिस्तेदार, उसका पुत्र व मस्तराम को सम्भालने में लग गये। मौका पाकर मारुती वैन चालक वाहन को लेकर भाग गया। उसके पुत्र एवं मस्तराम को उसके रिस्तेदार सी.एच.सी. मण्डावर अस्पताल में 108 एम्बूलेंस की सहायता से लेकर गये। गंभीर हालात होने के कारण डॉक्टर ने उसके पुत्र को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर के लिए रैफर कर दिया। उसके पुत्र को उसके रिस्तेदार अलवर होते हुए अस्पताल ला रहे थे तो ग्राम सुमेल तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर पहुॅचे तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्र की लाश सामान्य चिकित्सालय, अलवर की मोर्चरी में रखी हुई है। अतः दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मारुती वैन संख्या आर.जे. 02 यू.ए. 2384 के चालक विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें.....इत्यादि पर मु.नं. 81/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.संहिता में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

02. बाद अनुसंधान अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0द0संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा

279, 337, 304ए भा0द0संहिता के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

03. अभियुक्त को धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उक्त आरोप को सुन व समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 08 को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.12 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

05. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार लेखबद्ध किये, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये निर्दोष होने और झूॅठा फॅसाये जाने का अभिवाक किया।

06. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि पत्रावली पर जो भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उससे अभियुक्त के विरूद्ध पूर्णतः अपराध साबित होता है। सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद की है। अभियोजन के समस्त गवाहान ने घटना की ताईद की है। अभियोजन का मामला सन्देह से परे पूर्णतः साबित है। अभियोजन की कहानी में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। अभियोजन ने अपने मामलें को भली भांति साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियोजन का मामला सन्देह से परे साबित नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहों के द्वारा दी गई साक्ष्य में विरोधाभास है। प्रकरण में परिवादी द्वारा किसी भी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा दुर्घटना कारित करना किसी भी गवाह के द्वारा साबित नहीं किया गया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त

किया जावें।

08. उभय पक्षों के तर्कों के आलौक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्नांकित विचारणीय बिन्दु हैः–

''आया अभियुक्त ने दिनांक 17.05.2016 को समय रात्रि 07:00–07:30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा मण्डावर–महुआ रोड़ रेलवे फाटक के पास, लोक मार्ग पर मारुती वेन संख्या RJ02-UA-2384 पर चालक होते हुए उक्त मारूति वेन को उपेक्षापूर्वक या लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया एवं इस प्रकार से वाहन चलाकर परिवादी के पुत्र छगनलाल की मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मारकर उक्त मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे हुए मस्तराम के उपहति कारित की तथा परिवादी के पुत्र छगनलाल की आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

यदि हाँ तो, अभियुक्त के लिये उपयुक्त सजा क्या होगी ?''

09. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए भादंसं का आरोप है, जिसके विनिश्चिय हेतु मुख्य रूप से निम्न दो बिन्दुओं पर गौर करना है :–

1. क्या वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक प्रकरण हाजा का मुलजिम शकील अहमद था ?

2. क्या उक्त दुर्घटना, दुर्घटनाकर्ता द्वारा लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण वाहन चलाकर हुई जिससे मस्तराम के साधारण उपहति व छगनलाल की मृत्यु कारित हुई ?

10. उक्त दोनों बिन्दुओं में से सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का वक्त दुर्घटना चालक कौन था। इसके परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखें तो प्रकरण का उद्भव परिवादी रामनिवास के द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 से हुआ है। परिवादी रामनिवास फौत हो जाने से प्रकरण में न्यायालय के समक्ष परीक्षित ही नहीं हुआ है। पत्रावली पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू. 01 नारायण** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2016 को समय शाम के 07–7.30 पी.एम. की बात थी। वह सालबाडी से उनके गांव रतनगढ़ वह बोलेरो

में जा रहे थे। उनका छोटा भाई शादी में मिली मोटरसाईकिल को लेकर उनके आगे–आगे आ रहा था। मण्डावर कस्बे में रेल्वे फाटक के पास जम्प पर एक गाड़ी फोर व्हीलर जिसके नम्बर RJ02-UA-2384 थे। जिसने पीछे से छगन की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। छगन की मोटरसाईकिल पर एक अन्य आदमी मस्तराम बैठा था। एक्सीडेंट में छगन की छाती, लीवर में चोट आई थी जिससे छगन का लीवर फट गया था। यह एक्सीडेंट मोटरसाईकिल के पीछे आ रही गाडी RJ02-UA-2384 के चालक के तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ था। वह छगन को मण्डावर अस्पताल लेकर गये थे जिसे जयपुर एसएमएस में रैफर कर दिया। दौराने ईलाज छगन की मृत्यु हो गई थी। यह एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ था। उस समय वह करीब 10 व्यक्ति मौजूद थे। छगन लाल का पंचनामा अस्पताल में बनाया था जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का चालक मौके से भाग गया। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह गलत है कि वक्त घटना मुकेश उसके साथ था। वाहन एक्सीडेंट कर वापिस घुमाकर भाग गया, जिसके नंबर हमने नोट किए थे। वक्त घटना फाटक लगा हुआ था। घटनास्थल पर घटना के करीब 2 मिनट बाद पहुॅचे थे। यह सही है कि कार वाले को कार घुमाते हुए देखा था। कार वाला वापिस घुमाकर भाग गया। फाटक कितनी देर बाद खुला उन्हें पता नहीं। वह छगन को लेकर अस्पताल गए थे। वह व मुकेश व अन्य 8–10 लोग बोलेरो में साथ थे। मुकेश मोटरसाईकिल से नहीं आया था। यह कहना सही है कि वह छगनलाल को उनकी बोलेरो में लेकर अस्पताल गए थे। यह सही है कि 108 नंबर गाडी मौके पर नहीं आई थी। रामनिवास, छगन का पिता उनके साथ था, जो मौके पर ही घटनास्थल पर उतर गया। उस समय उसके साथ रामोतार, पदम, मस्तराम, बाबूलाल थे। यह सही है कि छगनलाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारते हुए उसने वैन को नहीं देखा।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 मुकेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि एक्सीडेंट 17.05.2016 को हुआ था। समय करीब 07–7.30 पी.एम. की बात थी। वह सालवाडी से उनके गांव रतनगढ मोटरसाईकिल से आ रहे

थे। उसके साथ तीन आदमी थे। एक्सीडेंट मण्डावर कस्बे में रेल्वे फाटक के पास जम्प पर हुआ था। एक्सीडेंट छगन व मस्तराम का हुआ था, वे गांव की तरफ आ रहे थे। मोटरसाईकिल को छगन चला रहा था और मस्तराम पीछे बैठा था। पीछे से एक मारूति कार जिसके नम्बर RJ02-UA-2384 थे, ने छगन की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे छगन व मस्तराम के चोटे लगी थी। छगन के ज्यादा चोटे आई थी, पेट में चोट आई थी। एक्सीडेंट मारूति चालक की लापरवाही के कारण हुआ था। वह लोग छगन व मस्तराम को मण्डावर अस्पताल लेकर गये थे, छगन को जयपुर रैफर कर दिया, दौराने ईलाज छगन की मृत्यु हो गई। छगन लाल का पंचनामा प्रदर्श पी–1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने मोटरसाईकिल उन्हें सुपुर्द की थी जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि वक्त घटना छगन के पिता उनके साथ नहीं थे। छगन उनके साथ ही उनके आगे–आगे चल रहा था। वक्त घटना रेलवे फाटक बंद था, मोटरसाईकिल खड़ी थी, आवागमन बंद था। उन्होंने वेन को चलते नहीं देखा। एक्सीडेंट हो गया, उसका पता है। उनके पहुॅचने से कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ, उसे पता नहीं। उस समय छगनलाल मोटरसाईकिल के दूसरी तरफ व मोटरसाईकिल पीछे पड़ी हुई थी। यह सही है कि उस समय फाटक पर और भी वाहन खड़े थे। यह सही है कि उसने घटना के बाद मोटरसाईकिल देखी थी। वक्त घटना मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी थी, वह वहीं खडा था। **जिस वाहन ने टक्कर मारी थी, उसका वाहन चालक गाडी को फाटक खुलने पर लेकर भाग गया था।** जिस समय गाड़ी चली गई, तब उसके नंबर उन्होंने नोट कर लिए थे। यह सही है कि उसने रामनिवास को दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया। जिस समय रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो उसके साथ कौन–कौन थे, वह नहीं बता सकता। एक्सीडेंट के बाद वह मौके पर 10–15 मिनट तक रुका हुआ था। छगन को एम्बुलेंस 108 में लेकर अस्पताल गए थे। वह छगन के साथ अस्पताल में गया था। यह बात सही है कि छगनलाल मेरा बेटा लगता है। मण्डावर अस्पताल में छगन को लेकर वह करीब 20–25 मिनट तक रुके थे।''

12. **गवाह पी.डब्ल्यू.03 मान सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है

कि वह दिनांक 02.06.2016 को थाना मण्डावर में चालक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मु.नं. 81/16 में जप्तशुदा मारूति वैन RJ02-UA-2384 का मैकेनिकल मुआयना उसने किया था। जिसमें वाहन के बांये इन्डीगेटर की लाईट टूटी हुई थी, बांयी तरफ के बम्पर क्रेक व हैड लाईट के पास हल्की मोच के निशान थे। वाहन पूरी तरफ चालू अवस्था में था, वाहन के सभी सिस्टम सही कार्य कर रहे थे। मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसकी रिपोर्ट है। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह सही है कि एम.आई. तहरीर शामिल पत्रावली नहीं है। यह सही है कि वाहन के चैसिस नम्बर व इंजन नम्बर देखकर लिखे थे, इन्प्रेशन से नहीं लिये थे। यह सही है कि बायीं तरफ की हैडलाईट टूटी हुई नहीं थी। यह बात सही है कि इंडिकेटर की टूट–फूट पुरानी थी या नहीं थी, यह उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी। यह सही है कि हैडलाईट के बांई तरफ की मोंच किस तरफ है उसने अंकित नहीं की है।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू.04 ओमकार मीना** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान दिवस से करीब 9–10 साल पहले की बात है। समय सांय के 4–5 बजे की बात है। वह लोग गाड़ी से सालवाडी से वापिस अपने गांव भालाखेडा जा रहे थे। यह एक्सीडेंट मण्डावर रेलवे फाटक के पास हुआ था। फाटक के पास मोटरसाईकिल ने पीछे से वेन ने टक्कर मार दी। वेन के नम्बर उसे पता नहीं है। इस एक्सीडेंट में छगनलाल के गम्भीर चोटे लगी थी जो ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी पीड़ित पक्ष मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह में** साक्ष्य दी है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, उस समय वह मौके पर नहीं था। यह सही है कि घटना उसने अपनी ऑखों से नहीं देखी। जिस वाहन ने मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, उस वाहन के नंबर उसने नहीं देखे।यह सही है कि एक्सीडेंट में लापरवाही किस वाहन की है यह उसे पता नहीं है क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। उस समय रामनिवास, मस्तराम, बाबूलाल, नारायण, मुकेश पुत्र बांदराम, मुकेश पुत्र मीठ्याराम, रमनलाल उसके साथ नहीं थे। ये उससे आगे थे।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 मुकेश चन्द मीना** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2016 मई माह की बात है समय करीब शाम के साढे सात बजे की बात है। वह उस समय धुलाई का कार्य करता था तो उस दिन पैदल–पैदल अपने घर जा रहा था। उस दिन मण्डावर फाटक की बात है, एक मारूती वैन जिसके न. आरजे02–यूए–2384 से एक्सीडेंट हुआ था। उक्त वैन ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट मे मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आयी थी। यह एक्सीडेंट वैन चालक की लापरवाही के कारण हुआ था। इसमे मोटरसाइकिल सवार घायल हो गये थे, जिनको मण्डावर अस्पताल लेकर गये थे। मारूती वेन चालक अपनी वैन को घ ाटनास्थल से भगा कर ले गया था। यह एक्सीडेंट उसने अपनी ऑखों से देखा था। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह सही है कि मारूती वैन वाला चालक अपनी वैन को सीधे राजगढ की ओर एक्सीडेंट के बाद लेकर भाग गया। यह सही है कि वक्त दुर्घटना रेलवे फाटक खुला हुआ था। घटना के बाद मृतक के रिश्तेदार करीब 20 से 25 मिनट बाद आये। यह सही है कि मृतक के रिशतेदारों के आने से पहले ही वैन चालक वैन को लेकर भाग गया था। यह सही है कि उसने वैन के चालक को नहीं देखा था। वह पवन शर्मा की दुकानों की ओर बैठा हुआ था। जब एक्सीडेंट की आवाज उसने सुनी तब उसका ध्यान दुर्घटना की ओर गया। वहा मौके पर अन्य कोई वाहन नही खडा था। पुलिस मौके पर 15 से 20 मिनट के बाद आयी थी और पुलिस ही घायल को लेकर अस्पताल गयी थी। यह सही है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके रिश्तेदार पुलिस जब मजरूब को लेकर अस्पताल चली गई उसके बाद आये थे। वह अस्पताल में घायल के साथ गया था। उसने ही उन्हें अस्पताल मे भर्ती कराया था इसके करीब 20 से 25 मिनट बाद उसके रिश्तेदार अस्पताल आये थे। यह सही है कि वह मारूति चालक का नाम भी नही जानता है और ना ही उसे सकल से पहचानता है। यह सही है कि उसने मोटरसाइकिल को गिरी हुई अवस्था में देखा था, चलती हुई अवस्था में नही।

15. **गवाह पी.डब्ल्यू.06 राकेश सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 18.05.2016 को थाना मंडावर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था उस दिन रामनिवास मीणा की तहरीर पर आई.सी थाना गंगाविशन ने मुकदमा संख्या 81/16 धारा 279, 337, 304ए आईपीसी में दर्ज कर तफतीश

उसके जुम्मे की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 पर अंकित कार्यवाही पुलिस पर एवं चाक एफआईआर प्रदर्श पी 07 पर ए से बी गंगाविशन के हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं एवं रसीद सुपुर्दगी लाश मृतक छगनलाल प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक छगनलाल की पीएमआर प्रदर्श पी 07 है जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका नारायणलाल और बाबूलाल की उपस्थिति में तैयार किया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके, ई से एफ बाबूलाल के व जी से एच मुस्तगीस के हस्ताक्षर है। गवाह रामनिवास, मस्तराम, बाबूलाल, नारायण, मुकेश, ओंकार, मुकेश पुत्र मीठालाल, रमनलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। अस्थाई सुपुर्दगी मोटरसाईकिल पीडित पक्ष प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके सी से डी ओंकार के, जी से एच रामनिवास के हस्ताक्षर हैं। नोटिस 133 एमवीएक्ट वाहन स्वामी श्रीमती विमला देवी को दिया जाकर जबाब प्राप्त किया जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी विमला देवी के हस्ताक्षर व सी से डी विमला का जबाब अंकित है। नोटिस 134 एमवी एक्ट वाहन चालक शकील अहमद को दिया जाकर जबाब प्राप्त किया जिस पर ए से बी शकील के हस्ताक्षर व सी से डी उसका जबाब अंकित है। फर्द जब्ती मारूति वैन आरजे02–यूए–2384 प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी विमला के.ई से एफ सतीश के, जी से एच राजीव के हस्ताक्षर हैं। मजरूब मस्तराम व छगनलाल की एमएलसी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जब्ती कागजात, जब्तशुदा वाहन प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी विमला के, ई से एफ सतीश के, जी से एच राजीव के हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा वाहन की एम.आई प्रदर्श पी 05 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम शकील अहमद प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी दिलीपसिंह के हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त समस्त अनुसंधान से मुलजिम शकील अहमद के विरूद्ध 279, 337, 304ए आईपीसी में एवं 134/187 एमवी एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर एसएचओ दिलीपसिंह को सुपुर्द की थी जिन्होने चालान न्यायालय में पेश किया जिसके सभी पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह सही है कि एफआईआर में चश्मदीद गवाहों का नाम दर्ज नहीं है। पीडित पक्ष की मोटरसाईकिल बिना

नंबरी किसके नाम थी, उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि उसने मोटरसाईकिल के कागज जब्त नहीं किये थे। उसने गाडी के ऑरिजनल कागज जब्त नहीं किये थे फोटोकॉपी जब्त की थी जिनके आधार पर उसने मोटरसाईकिल सुपुर्द की थी। यह सही है कि 134 एमवी एक्ट के नोटिस पर घटना का समय अंकित नहीं है। यह सही है कि उसने घटनास्थल के आसपास के गवाहों के बयान नहीं लिये थे, क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था।

16. **गवाह पी.डब्ल्यू.07 विमला देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह थाने पर आई थी। पुलिस ने नोटिस 133 एमवी एक्ट दिया था जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी भाग उसका जवाब है। फर्द जप्ती मारूती वैन 2384 को पुलिस ने जप्त कर फर्द जप्ती तैयार की प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती कागजात प्रदर्श पी 10 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह ने जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह सही है कि सी से डी भाग उसने नहीं लिखा, क्या लिखा है उसे पता नही है। यह सही है कि वह वक्त दुर्घटना वाहन के साथ नही थी। उसे पता नहीं कि शकील कब गाडी लेकर गया था। यह सही है कि वाहन पर चालक कौन रहेगा उसकी देखभाल का काम उसके पति सतीश कुमार ही देखते थे। यह सही है कि उसे पता नहीं कि उक्त दुर्घटना किस तारीख को कितने बजे व किस स्थान पर हुई थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 8 पर उसके हस्ताक्षर उसके पति ने घर पर यह कहकर कि थाने से गाडी छुडवानी है, उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

17. **गवाह पी.डब्ल्यू.08 रमनलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह छगनलाल को नहीं जानता और घटना की तारीख व समय तथा स्थान वह नहीं जानता है। किस वाहन से उक्त एक्सीडेंट हुआ था वह नही जानता है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह में** साक्ष्य दी है कि यह सही है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। यह सही है कि रामनिवास पुत्र धनपाल, मस्तराम पुत्र नारायण, बाबूलाल पुत्र रामेश्वर, नारायण पुत्र रामेश्वर, ओमकार पुत्र नारायणसहाय, मुकेश कुमार पुत्र मीठाराम, मुकेश पुत्र बोधन को वह नही जानता न ही उसकी कभी इनसे मुलाकात नही हुयी।

18. पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करें तो दर्शित होता है कि इसके परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखें तो प्रकरण का परिवादी रामनिवास फौत हो जाने से प्रकरण में न्यायालय के समक्ष परीक्षित ही नहीं हुआ है। प्रकरण के महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड.1 नारायण** जिसे परिवादी रामनिवास ने तहरीरी रिपोर्ट में मृतक छगनलाल के पीछे–पीछे आना बताया है, वही जिरह में कथन करता है कि वाहन एक्सीडेंट कर वापिस घुमाकर भाग गया, जिसके नंबर उन्होंने नोट किए थे। वक्त घटना फाटक लगा हुआ था और घटनास्थल पर घटना के करीब 2 मिनट बाद पहुॅचे थे। उन्होंने कार वाले को कार घुमाते हुए देखा था। कार वाला वापिस घुमाकर भाग गया। फाटक कितनी देर बाद खुला उन्हें पता नहीं। वे छगन को लेकर अस्पताल गए थे। वह व मुकेश व अन्य 8–10 लोग बोलेरो में साथ थे। छगनलाल को उनकी बोलेरो में लेकर अस्पताल गए थे और 108 नंबर गाड़ी मौके पर नहीं आई थी। रामनिवास, छगन का पिता उनके साथ था, जो मौके पर ही घटनास्थल पर उतर गया। उस समय उसके साथ रामोतार, पदम, मस्तराम, बाबूलाल थे। इस तथ्य को उसने सही बताया है कि छगनलाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारते हुए उसने वैन को नहीं देखा। वही अन्य महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड.2 मुकेश कुमार** ने जिरह में कथन किया कि वक्त घटना छगन के पिता उनके साथ नहीं थे। छगन उनके साथ ही उनके आगे–आगे चल रहा था। वक्त घटना रेलवे फाटक बंद था, मोटरसाईकिल खड़ी थी, आवागमन बंद था। उन्होंने वेन को चलते नहीं देखा। एक्सीडेंट हो गया, उसका पता है। उनके पहुॅचने से कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ, उसे पता नहीं। वक्त घटना मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी थी, वह वहीं खड़ा था। जिस वाहन ने टक्कर मारी थी, उसका वाहन चालक गाड़ी को फाटक खुलने पर लेकर भाग गया था। जिस समय गाड़ी चली गई, तब उसके नंबर उन्होंने नोट कर लिए थे। यह सही है कि उसने रामनिवास को दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया। एक्सीडेंट के बाद वह मौके पर 10–15 मिनट तक रुका हुआ था। गवाह पी.ड.1 के विपरीत कहता है कि छगन को एम्बुलेंस 108 में लेकर अस्पताल गए थे। वह छगन के साथ अस्पताल में गया था। मण्डावर अस्पताल में छगन को लेकर वह करीब 20–25 मिनट तक रुके थे। इसी प्रकार महत्वपूर्ण गवाह **पी.ड.4 ओमकार मीना** ने जिरह में कथन किया कि घटना उसने अपनी ऑखों से नहीं

देखी। जिस वाहन ने मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, उस वाहन के नंबर उसने नहीं देखे, एक्सीडेंट में लापरवाही किस वाहन की है यह उसे पता नहीं है क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। उस समय रामनिवास, मस्तराम, बाबूलाल, नारायण, मुकेश पुत्र बांदराम, मुकेश पुत्र मीठ्याराम, रमनलाल उसके साथ नहीं थे। ये उससे आगे थे। गवाह **पी.ड.5 मुकेश चंद मीना** ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि वक्त दुर्घटना रेलवे फाटक खुला हुआ था। घ ाटना के बाद मृतक के रिश्तेदार करीब 20 से 25 मिनट बाद आये। मृतक के रिश्तेदारों के आने से पहले ही वैन चालक वैन को लेकर भाग गया था। उसने वैन के चालक को नहीं देखा था। वह पवन शर्मा की दुकानों की ओर बैठा हुआ था। जब एक्सीडेंट की आवाज उसने सुनी तब उसका ध्यान दुर्घटना की ओर गया। वहा मौके पर अन्य कोई वाहन नही खडा था। पुलिस मौके पर 15 से 20 मिनट के बाद आयी थी और पुलिस ही घायल को लेकर अस्पताल गयी थी। यह सही है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके रिश्तेदार पुलिस जब मजरूब को लेकर अस्पताल चली गई उसके बाद आये थे। वह अस्पताल में घायल के साथ गया था। उसने ही उन्हें अस्पताल मे भर्ती कराया था इसके करीब 20 से 25 मिनट बाद उसके रिश्तेदार अस्पताल आये थे। यह सही है कि वह मारूति चालक का नाम भी नही जानता है और ना ही उसे सकल से पहचानता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण पी.ड.1 नारायण, पी.ड.2 मुकेश कुमार, पी.ड.4 ओमकार मीना द्वारा अपनी जिरह में वक्त घटना फाटक बंद होना कथन करते है, वही चश्मदीद गवाह पी.ड.5 मुकेश चंद मीना अपनी जिरह में वक्त घटना रेलवे फाटक खुला होना कथन करता है। गवाह पी.ड.1 नारायण जिरह में घ ाटना के दो मिनट बाद आना व गवाह पी.ड.5 मुकेश चंद मीना घटना के बाद मृतक के रिश्तेदार 20 से 25 मिनट बाद आना कथन करता है। गवाह पी.ड.1 नारायण अपनी जिरह में कथन करता है कि वह छगन को उनकी बोलेरो में लेकर अस्पताल गये थे, 108 नम्बर गाडी मौके पर नहीं आई थी, वही गवाह पी. ड.2 मुकेश कुमार अपनी जिरह में छगन को 108 एम्बूलेंस में अस्पताल ले जाना कथन करता है। जबकि गवाह पी.ड.5 मुकेश चंद मीना जिरह में पुलिस का मौके पर 15–20 मिनट बाद आना, घायल के रिश्तेदार आने से पूर्व ही पुलिस द्वारा ही घायल को अस्पताल लेकर जाना कथन करता है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.1 नारायण जिरह में घटना के दो मिनट बाद आने, वक्त घटना

मुकेश का का उसके साथ नहीं होने का कथन करता है, जहां गवाह पी.ड.2 मुकेश कुमार वक्त घटना स्वयं का वही खड़ा होना, नारायण उसके साथ मोटरसाईकिल पर होना कथन करता है, वही गवाह पी.ड.1 नारायण जिरह में मृतक छगन का पिता परिवादी रामनिवास उनके साथ ही होना व घटनास्थल पर ही उतर जाना कथन करता है, जबकि गवाह पी.ड.2 मुकेश कुमार जिरह में मृतक छगन के पिता का वक्त घटना उनके साथ नहीं होने का कथन करता है। इस प्रकार उक्त गवाहान की जिरह में आई साक्ष्य में भिन्न–भिन्न प्रकृति की विरोधाभास है, जिससे उक्त गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.2 मुकेश कुमार जिरह में वक्त घटना मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी थी वह वही खड़ा होना, रेलवे फाटक बंद होना, मोटरसाईकिल खड़ी होना, आवागमन बंद होना, उन्होंने वेन को चलते नहीं देखना कथन करता है, वही उक्त गवाह अपनी जिरह में आगे यह भी कथन करता है कि जिस वाहन ने टक्कर मारी उसका वाहन चालक गाडी को फाटक खुलने पर भाग जाना, उनके पहुंचने से कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ पता नहीं होना कथन करता है। इस प्रकार उक्त गवाह एक ओर तो वक्त घटना स्वयं का घटनास्थल पर खड़े होना व मोटरसाईकिल खड़ी होने का कथन करता है तथा दूसरी ओर से उनके पहुंचने से कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ पता नहीं होना कथन करता है जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य में भारी विरोधाभास दर्शित होता है। गवाह पी.ड.1 नारायण ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि छगनलाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारते हुए उसने वेन को नहीं देखा। इसी प्रकार गवाह पी.ड.2 मुकेश कुमार भी अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में भी वक्त घटना दुर्घटना कारित वाहन का चालक शकील अहमद हो, ऐसा कोई कथन नहीं करता है। गवाह पी.ड.3 ओमकार मीना को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जो अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं करता है। चश्मदीद गवाह पी.ड.5 मुकेश चंद मीना अपनी मुख्य परीक्षा में एक्सीडेंट स्वयं की आंखों से देखना कथन करता है, वही जिरह में वेन के चालक को नहीं देखना व एक्सीडेंट की आवाज सुनने पर तब ध्यान दुर्घटना की ओर जाना कथन करता है। वक्त घटना फाटक के खुले होने व रिश्तेदारों के आने से पहले ही वैन चालक के भाग जाने व पुलिस द्वारा घायल को अस्पताल ले जाना बताता है। इसके अतिरिक्त फर्द नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–8

की गवाह पी.ड.7 विमला देवी ने जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी–8 का सी से डी भाग उसने नहीं लिखा, क्या लिखा है उसे पता नहीं है। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि वक्त घटना अभियुक्त मारूति वेन संख्या RJ02-UA-2384 को मृतक छगनलाल की मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी।

19. इस प्रकार अभियोजन द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वक्त घटना दुर्घटना कारित वाहन का चालक कौन था। हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध स्थिति को समग्र रूप से देखे तो हस्तगत प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट नामजद नहीं है, न ही किसी गवाह ने अपने बयानों में वाहन चालक के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य दी है, चूंकि रिपोर्ट नामजद नहीं है, इसलिए अनुसंधान अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह अभियुक्त की सक्षम अधिकारी के समक्ष चश्मदीद से पहचान कार्यवाही करवाता। प्रकरण में किसी भी गवाह ने वाहन चालक के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। ऐसे में अभियोजन यही तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर वाहन चालक प्रकरण हाजा का अभियुक्त शकील अहमद ही था या नहीं। इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1990(2) आरएलआर 726 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि दुर्घटना संबंधित मामलों में सर्वप्रथम अभियोजन घटना के वक्त दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक को साबित करेगा, तत्पश्चात् ही लापरवाही व उपेक्षा का प्रश्न उत्पन्न होगा।**

20. अभियोजन पक्ष को स्वयं की साक्ष्य से प्रथम बिन्दू के तहत यह साबित करना था कि वक्त घटना प्रकरण हाजा का अभियुक्त ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चला रहा था, परंतु उक्त बिन्दू को साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है, ऐसे में गफलत व लापरवाही के बिन्दू पर पृथक से कोई विवेचन किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

21. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त शकील अहमद ने दिनांक 17.05.2016 को समय रात्रि 07:00–07:30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा मण्डावर–महुआ रोड़

रेलवे फाटक के पास, लोक मार्ग पर मारुती वेन संख्या RJ02-UA-2384 पर चालक होते हुए उक्त मारूति वेन को उपेक्षापूर्वक या लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया एवं इस प्रकार से वाहन चलाकर परिवादी के पुत्र छगनलाल की मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मारकर उक्त मोटरसा. ईकिल पर पीछे बैठे हुए मस्तराम के उपहति कारित की तथा परिवादी के पुत्र छगनलाल की आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। अतः अभियुक्त शकील अहमद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भांदसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

—: आदेश :—

22. अभियुक्त शकील अहमद खान पुत्र सुबेदार खान, निवासी मोजपुर, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज.) को धारा 279, 337, 304ए भा. द. संहिता के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है जिसकी उपस्थिति बावत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलका निरस्त किया जाता हैं।

23. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर सुपुर्दगीदार को दिया हुआ हैं जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहेगा। उक्त सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावे।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा

24. यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा